उत्तराखंड ने वाहनों में गार्बेज बैग रखना अनिवार्य किया

चर्चा में क्यों?

हाल ही में **उत्तराखंड सरकार** ने एक नवीन नियम क्रियान्वित किया जिसके तहत राज्य में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों में **गार्बेज बैग** अथवा **कूड़ादान** रखना अनिवार्य होगा।

- इस उपाय का उद्देश्य **उत्तरदायीपूर्ण पर्यटन** को बढ़ावा देना और **उत्तराखंड के मूल पर्यावरण** को संरक्षित करना है।

मुख्य बिंदु

- **निरीक्षण:** परिवहन विभाग अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये प्रवेश बिंदुओं पर वाहनों का निरीक्षण करेगा।
- **ट्रिप कार्ड:** वाहनों को **ट्रिप कार्ड** तभी निर्गत किये जाएंगे जब उनमें **अपशिष्ट निपटान संबंधी आवश्यक सुविधाएँ** होंगी।
- **दस्तावेज़ीकरण:** वाहन उपयोगकर्त्ताओं को ट्रिप कार्ड प्राप्त करने के लिये **पंजीकरण प्रमाण-पत्र, फिटनेस प्रमाण-पत्र, बीमा-पत्र** और **प्रदूषण प्रमाण-पत्र** जैसे **वैध दस्तावेज़** प्रस्तुत करने होंगे।
- **व्यापक रणनीति:** यह पहल **उत्तराखंड की प्राकृतिक सुंदरता**, विशेषकर लोकप्रिय पर्यटन मार्गों का संरक्षण करने के एक व्यापक प्रयास का हिस्सा है।
- **सहयोग:** परिवहन विभाग इस नियम को क्रियान्वित करने के लिये पड़ोसी राज्यों से सहयोग की मांग की।
- **सामूहिक उत्तरदायित्व:** यह विनियमन राज्य की स्वच्छता बनाए रखने में निवासियों और पर्यटकों के साझा उत्तरदायित्व पर ज़ोर देता है।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/uttarakhand-mandates-garbage-bags-in-vehicles